


सुनने देवी / हजारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
9.3.21	<p>पदापली पेरा हुई। सरिस्ते रिपोर्ट का अपलोड किया। अपील के साथ संलग्न प्रिमाद अपिस्त्रिपुत्र की दफा-5 के उर्षना- पत्र पर अपी. अपिस्त्रिपुत्र को सुना गया अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर ही जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्वगत उर्षना- पत्र पर अपी. अपि. को सुना तथा अपील के साथ संलग्न नहत अदालत के आदेश का अपलोड किया। नहत अदालत द्वारा अपी. उतिषादी को सुने बिना ही स्वपक्षीय स्वगत आदेश जारी किया गया है। अतः नहत अदालत वा आदेश दिनांक 28.10.16 उन्पान हजारीलाल / सुनने देवी को का प्रयत्न निरस्त करते हुये अपी. को आदेश दिया जाता है कि वे नहत अदालत में उपस्थित होंगे। तथा नहत अदालत उपरणउ अपिस्त्रिपुत्र शानसुर को निर्दिष्टित किया जाता है कि उन्मपुत्रों को सुनकर उनका वा निस्तारण दो माह में करें। उनका प्रतिशेषित (Remand) किया जाता है। फा0 फैसल सुमार होकर नम्बर से कम ही जावे।</p>	
		<p style="text-align: right;">  मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>